तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/318/वि.कार्य/2018–19/ 1491-92 दिनाँक – 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 14 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 14, जो कि दिनाँक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्याः डी.ई.–25 (13)/318/वि.कार्य/2018–19/ 1491-92 दिनाँक – 21.08.19
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

O/c

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम – शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 14

दिनांक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	प्राथमिकता–। के अंतर्गत क्लासरूम निर्माण के संदर्भ में बताएँ कि कमरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) तथा व्यय का अनुमोदन (ई.एस.) प्रदान करने हेतु क्या कोई पूर्व शर्तें हैं, तथा पूर्वस्वीकृति लिए बिना कितनी लागत वृद्धि की अनुमति है,	इसके लिए निम्नलिखित शर्तों के मानक निर्धारित किए गए हैं – (i)चालू वित्त वर्ष के दौरान होने वाला कुल व्यय बजट में उपलब्ध निधि से अधिक नहीं होना चाहिए । (ii)लोक निर्माण विभाग सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करेगा । (iii)किसी भी परिस्थिति में लागत में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी । (iv)किसी भी परिस्थिति में लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी । (v)यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा । (vi)लोक निर्माण विभाग को समय –समय पर उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में स्थिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल अनुसार पूर्व स्वीकृति लिए बिना 10 प्रतिशत लागत वृद्धि की अनुमति है। हालांकि उपरोक्त शर्तें निर्माण कार्यों के विवरण के आधार पर लागू होती है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग–अलग आवश्यकताओं के आधार पर नया निर्माण कार्य विवरण भी तैयार किया जाता है अथवा आवश्यकता पड़ने पर इसमें बदलाव की अनुमति नियमानुसार दी जाती है।
ख)	प्राथमिकता–। के अंतर्गत प्रति वर्ग मीटर क्या लागत है और प्रति कमरा क्या लागत है;	प्राथमिकता–1 व 2 के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य का प्रारम्भिक प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, जो कि भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युअल में निर्धारित दरों पर आधारित है। अनुमोदित लागत राशि इस प्रकार है– 1. प्राथमिकता 1 – 24 हजार 665 रुपए प्रति वर्गमीटर (वर्ष 2015–16 में अनुमोदित) 2. प्राथमिकता 2 – 28 हजार 212 रुपए प्रति वर्गमीटर (वर्ष 2018–19 में अनुमोदित) विद्यालय भवनों के निर्माण में विभिन्न सुविधाओं सहित एम.पी. हॉल का निर्माण, स्टेयर केस, शौचालय का निर्माण, कोरीडोर, प्रयोगशालाएँ, लाईब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अग्नि सुरक्षा, आर.ओ., बिजली उपकरण, जमीन का समतलीकरण, आंतरिक सड़कें, हार्टिकल्चर, ऑपरेशन, स्ट्रीट लाईटस, इत्यादि शामिल है। हालाँकि, प्राथमिकता–2 में कुछ अन्य घटक जैसे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एस.टी.पी. व उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर भी शामिल है। उपरोक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए तथा कार्य के विवरण को देखते हुए स्वीकृत राशि के आधार पर प्रति कमरा लागत निकालना गलत होगा।
ग)	प्राथमिकता–।। के अंतर्गत प्रति वर्ग मीटर क्या लागत है और प्रति कमरा क्या लागत है ;	

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

घ)	क्या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति इनके लिए ली गई थी,	प्रश्न स्पष्ट नही है।
ड0)	यदि नही तो लो.नि.वि. के सबद्ध प्राधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई,	उपरोक्त (घ) के आलोक मे लागू नही होता।
च)	लो.नि.वि. के ठेकेदारो के विरुद्ध अधिक समय लगाने के लिए क्या दंड लगाया गया,	समय वृद्धि व हर्जाने का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा भिन्न–भिन्न मामलो के आधार पर किया जाता है।
छ)	क्या लो.नि.वि. द्वारा किया गया कार्य विनिर्देशो के अनुरूप है,	जी हॉं।
ज)	लो.नि.वि. द्वारा सभी मंजिलो पर भवन की बाहरी दीवार पर जल निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप क्या लो.नि.वि. के विनिर्देशो के अनुरूप हैं,	यह कार्य एस.पी.एस. भवनों के पिछले प्रचलन के अनुरूप किया गया है।
झ)	प्राथमिकता–I की तुलना मे प्राथमिकता–II मे क्या अतिरिक्त घटक शामिल किए गए है, और	लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिकता–1 की तुलना में प्राथमिकता–2 में आर.डब्ल्यू.एच., एस.टी.पी. व उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर इत्यादि शामिल किए गए हैं।
ञ)	जोडे गए नए घटकों की सूची और उनपर हुए खर्च की सूची क्या है?	जोडे गए नए घटको की सूची उपरोक्त बिन्दु झ मे उल्लिखित है। यद्यपि उन पर हुए खर्च का ब्यौरा कार्य समाप्ति के पश्चात् दिया जाएगा।

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner